AAI/CHQ/F&A/REV/CREDIT POLICY/AMENDMENT-3/269 नवंबर 15, 2021

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उ.क्षे./प.क्षे./द.क्षे./पू.क्षे/उ.पू.क्षे.
दिल्ली/मुंबई/चेनैई/कोलकाता/गुवाहाटी

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता/चेनैई हवाई अड्डा
कोलकाता/चेनैई

विषय: भाविप्रा क्रेडिट नीति (यातायात) - संशोधन # 3

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक AA|/CHQ/FA/REV/POLICY/AMENDMENT- 2/183, दिनांक 16.03.2021 का संदर्भ दिया जाता है, जिसे 01.04.2021 से संशोधित भाविप्रा क्रेडिट नीति (यातायात) संशोधन # 2 के साथ अग्रेषित किया गया है।

2 भाविप्रा बोर्ड ने 05.10.2021 को आयोजित अपनी 203वीं बोर्ड बैठक में एएआई क्रेडिट नीति (यातायात) में निम्नलिखित संशोधनों को मंजूरी दी है:

i) क्रमांक 4.1(बी) गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों द्वारा सुरक्षा राशि जमा - (सुरक्षा जमा राशि नकद या बीजी में जमा की जाएगी) गैर-अनुसूचित हेली-ऑपरेटर नकद/बीजी में राशि जमा कर सकते हैं; अनुमानित दो महीने की बिलिंग के बराबर। यह योजना वैकल्पिक होने के कारण, ऐसे ऑपरेटर कैश एंड कैरी का विकल्प चुन सकते हैं।

ii) क्र.सं. 6(iii) - विलंबित भुगतान पर ब्याज- बकाया मूल राशि पर 01.10.2021 से 31.03.2022 तक, 06 (छह) महीने की अवधि के लिए प्रति वर्ष 10% (दस प्रतिशत) की दर से ब्याज लगेगा, केवल उन्हीं घरेलू (i) अनुसूचित एयरलाइंस और (ii) गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों के संबंध में जिन्हें एएआई क्रेडिट पॉलिसी के क्रमांक 6 के अंतर्गत कवर किया गया है।

iii) क्र.सं. 6(iv)- विलंबित भुगतान पर ब्याज दर 01.04.2022 से स्वचालित रूप से 12% (बारह प्रतिशत) प्रति वर्ष बहाल कर दी जाएगी।

3 01.10.2021 से प्रभावी भाविप्रा क्रेडिट नीति (यातायात) संशोधन #3 की एक प्रति अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

4 अनुरोध है कि संशोधित भाविप्रा क्रेडिट नीति (यातायात) को आपके क्षेत्र के अंतर्गत सभी संबंधित निदेशालयों/हवाई अड्डों/एयरलाइंस के संज्ञान में लाया जाए।

धन्यवाद सहित,

भवदीय,

संलग्न- यथोक्त।

(आर. रमाणी)
महाप्रबंधक (वित्त)

सूचनार्थ प्रतिलिपि-

- अध्यक्ष सचिवालय
- सदस्य (म सं.)/(प्रचालन)/(योजना)/(वित्त)/(एएनएस)
- ई.डी. (वित्त)-I व II/जे.वी.सी.
- महाप्रबं (वित्त)- क्षेत्र/हवाई अड्डे/निगमित मुख्यालय
- महाप्रबं. (आई.टी.), निगमित मुख्यालय भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए - सेवाएं => हवाई अड्डा सेवाएं => हवाई अड्डा क्रेडिट नीति
- एस.ए.पी./ए.आई.एम.एस.

अनुलग्नक-I

भाविप्रा क्रेडिट नीति (यातायात) 01.04.2019 से प्रभावी (01.10.2021 से संशोधित) - संशोधन # 3

क्र.सं.	विवरण		
		घरेलू के लिए - शेड्यूल एयरलाइंस/नॉन शेड्यूल ऑपरेटर	विदेशी शेड्यूल एयरलाइनों के लिए- भारत में लैंडिंग या एनएसओपी ओवर फ़्लाइंग
1.	बिलिंग साइकिल	पाक्षिक (15 दिन) आधार पर, अर्थात 1 से 15 और 16 से महीने के अंत तक की अवधि	साप्ताहिक आधार पर, अर्थात् 1 से 7, 8 से 15, 16 से 22 और 23 से महीने के अंत तक की अवधि
2.	बिल जमा करने का सामान्य समय	बिलिंग साइकिल की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर	बिलिंग साइकिल की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर
3.	क्रेडिट अवधि (सुरक्षा जमा राशि जमा करने पर)	चालान की तारीख से 10 दिन, 31.03.2021 तक ** चालान की तारीख से 15 दिन, प्रभावी 01.04.2021	चालान की तारीख से 10 दिन, 31.03.2021 तक ** चालान की तारीख से 15 दिन, प्रभावी 01.04.2021
4.	सुरक्षा जमा राशि - विदेशी एयरलाइंस सहित शेड्यूल ऑपरेटर	बैंक गारंटी के मामले में औसत दो महीने के संचालन के बराबर और नकदी के मामले में 1.5 महीने के बराबर	बैंक गारंटी के मामले में औसत दो महीने के संचालन के बराबर और नकदी के मामले में 1.5 महीने के बराबर
4.1 (क)	नॉन शेड्यूल ऑपरेटर (हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के अलावा)	रु. 6 लाख प्रति विमान या औसत 2 महीने की बिलिंग, जो भी अधिक हो	रु. 6 लाख प्रति विमान या औसत 2 महीने की बिलिंग, जो भी अधिक हो
4.1 (ख)	**नॉन शेड्यूल ऑपरेटर- हेलीकॉप्टर ऑपरेटर**	**नॉन शेड्यूल हेली-ऑपरेटर नकद/बीजी में राशि जमा कर सकते हैं; अनुमानित दो महीने की बिलिंग के बराबर।** **हालाँकि, योजना वैकल्पिक होने के कारण, ऐसे ऑपरेटर कैश एंड कैरी का विकल्प चुन सकते हैं।**	लागू नहीं
4.2	केंद्रीय/राज्य/पीएसयू के मामले में	प्रति विमान रु. 3 लाख	लागू नहीं

* जैसा कि 05.10.2021 को आयोजित 203वीं बोर्ड बैठक में संशोधित किया गया

क्र.सं.	विवरण		
		घरेलू- शेड्यूल एयरलाइंस/ नॉन शेड्यूल ऑपरेटर	विदेशी शेड्यूल एयरलाइंस - भारत में लैंडिंग या एनएसओपी ओवर उड़ान
5	सुरक्षा जमा राशि का तरीका	या तो नकद या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की बैंक गारंटी	या तो नकद या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक की बैंक गारंटी
6	विलंबित भुगतान पर ब्याज	i. बकाया मूल राशि पर 30 दिन तक विलंब होने पर 9% प्रतिवर्ष की दर से और 30 दिन से अधिक विलंब होने पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज नियत तिथि से 31.3.2021 तक लगेगा, और ii. 01.04.2021 से 30.09.2021 तक @ 12% प्रति वर्ष iii. 01.10.2021 से 31.03.2022 तक 06 (छह) महीने की अवधि के लिए @ 10% प्रति वर्ष iv)विलंबित भुगतान पर ब्याज दर 01.04.2022 से स्वचालित रूप से 12% (बारह प्रतिशत) प्रति वर्ष पर बहाल हो जाएगी।	i. बकाया मूल राशि पर 30 दिन तक विलंब होने पर 9% प्रतिवर्ष की दर से और 30 दिन से अधिक विलंब होने पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज नियत तिथि से 31.3.2021 तक लगेगा, और ii. 01.04.2021 से @12% प्रतिवर्ष
6.1	केंद्र/भारत सरकार और पीएसयू द्वारा विलंबित भुगतान के मामले में ब्याज	30 दिन तक देरी होने पर 6% प्रति वर्ष की दर से, 30 दिन से अधिक विलंब होने पर नियत तारीख से 12% प्रतिवर्ष,	लागू नहीं

* जैसा कि 05.10.2021 को आयोजित 203वीं बोर्ड बैठक में संशोधित किया गया

क्र.सं.	विवरण		
		घरेलू- शेड्यूल एयरलाइंस/ नॉन शेड्यूल ऑपरेटर	विदेशी शेड्यूल एयरलाइंस - भारत में लैंडिंग या एनएसओपी ओवर उड़ान
6.2	भुगतान में देरी पर कार्रवाई हो सकती है	यदि बकाया राशि बैंक गारंटी के 75% से अधिक है: i. बैंक गारंटी भुनाएं ii. ऑपरेशन को कैश एंड कैरी पर रखें iii. नीति के अनुसार एयरलाइंस द्वारा सुरक्षा जमा राशि जमा करने पर क्रेडिट सुविधा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है iv. नकदी में सुरक्षा के समायोजन या बकाया राशि के बदले बीजी के नकदीकरण के मामले में इसका उपयोग सबसे पहले देय ब्याज को चुकाने के लिए किया जाएगा।	यदि बकाया बैंक गारंटी के 75% से अधिक है: i. बैंक गारंटी भुनाएं ii. ऑपरेशन को कैश एंड कैरी पर रखें iii. ओवर फ़्लाइंग के मामले में - ऑपरेशन रोका जा सकता है iv. नीति के अनुसार एयरलाइंस द्वारा सुरक्षा जमा जमा करने पर क्रेडिट सुविधा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है v. नकदी में सुरक्षा के समायोजन या बकाया राशि के बदले बीजी के नकदीकरण के मामले में इसका उपयोग सबसे पहले देय ब्याज को चुकाने के लिए किया जाएगा।
7	हवाईअड्डा शुल्क के भुगतान से छूट	क. भारत सरकार के निमंत्रण पर रक्षा विमान/विदेशी सैन्य विमान ख. वीवीआईपी उड़ानें जैसे कि किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख द्वारा उपयोग किया जाने वाला विमान ग. खोज और बचाव उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला विमान घ. विमान जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) से छूट प्राप्त कर चुके हैं ङ. एयर शो या विमानन संबंधी प्रदर्शनी का संचालन- आने-जाने के लिए एकमुश्त हवाई अड्डा शुल्क देय होगा च. टैरिफ नीति के अनुसार फ्लाइंग स्कूल	

नोट:

1. शेड्यूल एयरलाइन को क्रेडिट सुविधा केवल अनुमोदित शेड्यूल और प्रस्तुत किए गए विमानों की सूची के अनुसार दी जाएगी और एनएसओपी के मामले में केवल विशिष्ट विमानों के लिए दी जाएगी । विमान के स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में, स्वामित्व परिवर्तन की तारीख से क्रेडिट सुविधा वापस ले ली जाएगी । विमान के स्वामित्व में परिवर्तन के बारे में पार्टी को तुरंत भाविप्रा को सूचित करना आवश्यक है ।

2. नकद में सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

3. बैंक गारंटी, बैंक गारंटी के जारी होने की तारीख से कम से कम 1 वर्ष के लिए वैध होगी और बैंक गारंटी की समाप्ति की तारीख के बाद दावा अवधि 3 महीने होगी ।

4. बिल/चालान का न मिलना भुगतान न करने का वैध कारण नहीं होगा । पार्टी से बिलर डायरेक्ट लिंक पर पंजीकरण करने और बिलों को ऑनलाइन देखने का अनुरोध किया जाएगा और भाविप्रा बिल/चालान प्राप्त न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

5. क्रेडिट सुविधा (घरेलू या विदेशी) वाली शेड्यूल एयरलाइंस के मामले में, किसी भी अन्य भाविप्रा हवाई अड्डे पर किसी भी कारण से आपातकालीन लैंडिंग/उड़ान का डायवर्जन किया जाता है, तो प्रचलित क्रेडिट सुविधा लागू होगी।

6. पार्टी को भेजी गई राशि का बिल-वार विवरण प्रस्तुत करना होगा अन्यथा भाविप्रा पहले देय ब्याज के विरुद्ध प्राप्त राशि को समायोजित करेगा, उसके बाद अधिशेष / शेष राशि, यदि कोई हो, को कालानुक्रमिक क्रम में सबसे पुराने बकाया चालान / बिल में समायोजित करेगा । पार्टियों को भाविप्रा की बिलर डायरेक्ट सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी जाएगी ।

7. क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए एयरलाइंस द्वारा मेल द्वारा अनुरोध पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भाविप्रा को प्रस्तुत किए जाएंगे:

i) पंजीकरण का प्रमाणपत्र

ii) डीजीसीए द्वारा जारी उड़ानयोग्यता प्रमाणपत्र

iii) डीजीसीए द्वारा संचालन के शेड्यूल की मंजूरी ।

iv) बिलिंग पता, फ़ोन नंबर. और मोबाइल नंबर, चालान भेजने के लिए ईमेल आईडी और संपर्क व्यक्ति का नाम ।

v) नकद या बैंक गारंटी में सुरक्षा जमा राशि

vi) पैन न., टैन नं. और जीएसटीएन पंजीकरण प्रतिलिपि

vii) आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़